(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंको द्वारा गरीब लोगों को दिये जाने वाले ऋणों का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करेगी ताकि किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां न हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निम्नलिखित ऋण दिए जा रहे है,

(1) एकीकृत खाद्यान्न विकास एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम सहित फसल ऋण,

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) :

(3) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई),

(4) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एसएलआरएस) सहित विशेष संघटक योजना (एससीपी),

(5) विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें ऋण वितरण में कदाचार की कोई जानकारी नहीं है । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंको को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश हैं, (1) 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्र पन्द्रह दिन के भीतर तथा 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदन पत्र 8 से 9 हफ्तों के बीच निपटा दिए जाने चाहिए, (2) कमजोर वर्गों से प्राप्त होने वाले ऋण प्रस्ताव तत्काल निपटा दिए जाने चाहिए, (3) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को समुचित स्वीकृति अधिकार दिए गए है, ताकि अधिकांश ऋण आवेदन पत्र शाखा-पत्र स्वीकृत किए जा सकें, (4) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 10,000/- रुपए तक के अल्पवधि एवं दीर्घावधि ऋणों पर कोई मार्जिन न लें, (5) जहां चल आस्तियां सृजित हों वहां पर 15,000 रुपए तक के अल्पवधि एवं मीयादी ऋणों के लिये अतिभूमि नहीं ली जानी चाहिए ।

Assistance to Siaies by IFCI

2351. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Industrial Finance Corporation of India has been funding different States for the infrastructural development in the backward areas; and

(b) if so, the names of States which received financial assistance from IFCI during the last three years for the above purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) has reported that it provides financial assistance to infrastructure projects, including to those set up in backward areas, on the basis of agreed parameters for financing provided such projects are technically feasible, commercially viable and economically justifiable.

"(b) IFCI has further reported that during the past three years assistance in this regard has been sanctioned to eight states viz. Jammu & Kashmir, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Sikkim, Tamil Nadu and West Bengal.

Financial Assistance for Handloom Weavers

2352. SHRi O.S. MANIAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state whether Government propose to give financial assistance to handloom weavers, particulary in Tamil Nadu to help them get over the financial crisis during the current years.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): The Schemes being implemented by Government of India for the handloom sector are generally not state specific. All State Governments and Union Territories are eligible for assistance under these Schemes. The

weavers of Tamil Nadu can avail assistance under the ongoing Schemes in hand loom sector in accordance with the guidelines of the Schemes.

मैथिली भाषा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम

2353. **श्री रामदेव भंडारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर मैथिली भाषा में प्रसारित होने वाली फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है,

(ख) किन-किन दूरदर्शन केन्द्रों से मैथिली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है, और

(ग) क्या सरकार मैथिली भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण समय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी0 एम0 सईद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली और पटना।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

The House then adjourned at four minutes past eleven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 20th December, 1995.